प्रेस नोटः–
कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक–08.04.2019

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग–
जनपदीय पुलिस/ यातायात पुलिस गोण्डा द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **73 वाहनों से मु0– 12100 रू0 शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–
जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **कुल– 06 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

02 वारण्टी अभियुक्तों के विरूद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–
पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों के गिरफ्तारी के अभियान में जनपदीय पुलिस द्वारा 04 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–
पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 07. 04.2019 को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल–05 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 80 लीटर कच्ची शराब मय उपकरण बरामद की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है

थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही–
01. बडकऊ सोनकर पुत्र मेवालाल निवासी महुवाडीह थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से **20 ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–156/19 ,02.शिवप्रसाद पुत्र किशोरी निवासी महुवाडीह थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–157/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना खोड़ारे द्वारा की गयी कार्यवाही–
01. रामबचन पुत्र नंगू निवासी मकोईया थाना खोडार जनपद गोण्डा के कब्जे से **10 ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–62/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही–
01. तुलसीराम पुत्र सीताराम निवासी पूरे महा थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से **20 ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–149/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही–
01. सम्मयदीन पुत्र सिसई निवासी पुरैना गनेशपुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से **20 ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–144/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

मारपीट करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–
गोण्डा। सोमवार जनपद गोण्डा के थाना को0 मनकापुर पुलिस द्वारा मारपीट करने के आरोपी अभियुक्त–संतोष कुमार सपुत्र रामसेवक करील निवासी कुडासन डीहवा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा को थाना मनकापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–87/19 धारा 323.504.506.327 भादवि के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

दिनांक 23.02.2019 को उक्त अभियुक्त द्वारा वादी रामअभिलाश पुत्र लोकई निवासी कुडासन डीहवा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा को शराब के लिये पैसे न देने पर गाली–गुप्ता देते हुए मारा–पीटा व जान से मारने की धमकी दी थी। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना मनकापुर में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसमें मनकापुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 08.04.2019 को उक्त आरोपी अभियुक्त को कुड़ासन बाजार से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

दहेज हत्या के आरोप में, 01 अभियुक्ता गिरफ्तार–
गोण्डा। सोमवार जनपद गोण्डा के थाना छपिया पुलिस द्वारा दहेज हत्या की आरोपी अभियुक्ता– माधवदेवी पत्नी राममूरत निवासी पायरखास थाना छपिया जनपद गोण्डा को थाना छपिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0–78/19 धारा 498ए,304बी,506 भादवि0 व 3/4 दहेज प्रतिशेध अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है।

विदित हो कि उक्त मुकदमा वादी प्रदीप कुमार पुत्र स्व राम भजन निवासी कुकनगर ग्रण्ट थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा के द्वारा दिनांक 14.03.2019 को अपनी बहन शारदा देवी को उसके पति व परिवार वालो द्वारा दहेज की बात को लेकर जान से मार कर घर मे ही फॉसी पर लटका देने के आरोप मे दिनांक 16.03.2019 को थाना छपिया में अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसमे आज दिनांक 08.04.2019 को छपिया पुलिस द्वारा वांछित चल रही अभियुक्ता को उसके घर से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण–
पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण–दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए **कुल–13 विवेचनाओं** का निस्तारण किया गया।

सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 08.04.2019

964 सुतली बम बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार–

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. मो0हफीज पुत्र नजर मोहम्मद निवासी मोहम्मदपुर थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0– 90/19 धारा 4/5 विस्फोटक अधि0 थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 964 अदद सुतली बम।

संक्षिप्त विवरण–

आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक गोण्डा आर0पी0सिंह ने जनपद में अवैध शस्त्र/अवैध शराब/विस्फोटक पदार्थ रखने व निर्माण में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही के लिए समस्त प्रभारी निरीक्षक/ थानाध्यक्षों को शख्त निर्देश दिये थे। जिसके क्रम में **थाना कटराबाजार** को बढी सफलता प्राप्त हुई।

दिनांक 07.04.2019 को उ0नि0 अरूण कुमार पाटिल मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे जरिये मुखबिर सूचना पर उक्त अभियुक्त को ग्राम मोहम्मदपुर प्राथमिक पाठशाला के पास से एक सफेद बोरी में 964 सुतली बम बरामद कियें। अभियुक्त के विरूद्ध थाना कटराबाजार में 4/5 विस्फोटक अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 अरूण कुमार पाटिल थाना कटराबाजार।
02. हेड का0 शौकत अली।
03. का0 चन्द्रपाल यादव।